

डिक्री मुकदमा इब्तदाई 4

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप स्वच्छ अधिकारी मुकाम टोडाभीम व  
इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य RAS

गनलाल पुत्र गौरया  
त गौवा निवासी  
मपुरा तह-टोडाभीम  
करौली

उजवान

- ① सरकार जरिये जि लाकलक्टर  
करौली  
② तहसीलदार टोडाभीम  
जिला करौली

बनाम

इन्ड्रज कुमहरी घोषणा खोतवरी  
बाबत एवं स्यायी निषधाज्ञा

मुकदमा नं० 76 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई श्री मदन मोहन शर्मा अव. व हाजिरी  
मिनकानिब गुदई सबरु

ब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी जि लाफ प्रतिवादी गण नि महु खारिज  
लिया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय  
रह का अदा करे। फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

रे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-10-2015  
को जारी की गई। माह सन्

मुहर

दस्तखत उप जिला कलक्टर  
ओहदा टोडाभीम (करौली)

रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
अकालत नामा		स्टाम्प अर्जी		
अजह सबूत		महन्ताना वकील		
वकील		खर्चा गवाहान		
वाहान		फीस कमिशनर		
मिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक		
क				
मीजान		मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।